

16/8/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उक्त पत्रावली
 P.O. पालना तहसीलदात पीलीबंगा से प्राप्त
 हुई थी रिपोर्ट में शकवा बँचान होने के कारण
 उक्त में विभाजन उत्साव लेपाट नहीं किया
 जा सकता है की प्राप्त हुई थी बागावलाकरी
 की चित्त जीत उल्ट की गई थी प्राप्त रिपोर्ट
 शामिल पत्रावली से उक्त में विभाजन
 उत्साव लेपाट नहीं किया जा सकता है
 शकवा बँचान हो चुका है वाद पर में
 इस स्तर पर निर्णय लेगव नहीं है। कलः
 मया दावा उल्ट करने की अनुमति के
 साथ इसी स्तर पर शवाख किया जाता
 है पत्रावली में माल होकर बास तकरील दाखिल
 दमातर हो

सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

